न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 97/2019
जी.सी.एस.एम. नं. 2019/00205
किस्म -- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 17.02.2021

1.बदनसिंह
पिसरान तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई।
2.समयसिंह

प्रार्थी/सायल

बनाम

1. निर्मला पत्नि सुजानसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई।
2. सुजानसिंह पुत्र जगनसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, नदबई।

अप्रार्थी/गैरसायलान

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवीन वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 2630/0.15 व खसरा नम्बर 2629/0.37 वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 2630 सायलान की खातेदारी का रकवा है जो कि मनवट से सायलान के हिस्से में आया है। तथा उक्त खसरा नम्बर के बगल में गैरसायल सं. 1 की खातेदारी का रकवा खसरा नम्बर 2629 स्थित है। उक्त रकवा में सायलान भी सहखातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। परन्तु गैरसायलान संख्या 1 व 2 उक्त रकवा का नाजायज फायदा उठाकर सायलान के खसरा नम्बर 2630 में अतिक्रमण कर डौर मैड तोडकर पक्की दीवार का निर्माण कर रहा हैं। जबकि सायलान ने अपने खसरा नम्बर 2630 में सायलान ने अपने पूर्वजों के थान बना रखें है। उन बने हुए थानों को अपने खसरा नम्बर 2629 में डौर मैड तोडकर नींव खोदकर पक्का निर्माण कर रहे है। जिसको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। इसलिए सायलान [illegible] 2 [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि सायलान के खसरा [illegible]30 में अतिक्रमण न कर डौर मैड न तोडकर पक्का निर्माण न करें।
4. यह है कि दिनांक 02.07.2019 को गैरसायलान [illegible] 2 ने अपने खसरा [illegible]629 की आड में सायलान के खसरा नम्बर 2630 में डौर मैड [illegible]कर नींव खोद दी जि[illegible] सायलान ने मना किया तो खुलेआम यह धमकी दी है कि हम तो ऐसे ही बनायेंगे तुम हमें रोक नहीं सकते। अगर गैरसायलान अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो सायलान को अजीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी। इसलिए सायलान, गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद करा पाने अधिकारी है। सायलान के खसरा नम्बर 2630 में डौर मैड तोडकर नींव न खोदे व किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य न करें और न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे सायलान के हक हकूकों पर जवाल आवे। मोके की यथा स्थिति बनाये रखे।

5. यह है कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलानों को ता फैसला स्थगन आदेश से इस कदर पाबंद किया जावे किवे प्राथना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2629, 2630 में डौर मैड तोडकर पक्का निर्माण न करें व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे सायलान के हक हकूकों पर कोई जवाल आवे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री रामकिशन पूनिया एड़वोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 की आर से श्री जगवीरसिंह व लाखन भातरा एडवोकेट उपस्थित हुऐ। तथा अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें निम्नांकित तथ्यों का वर्णन किया गया। जो इस प्रकार है

1. यह कि मद न एक में दावा का पेश होना स्वीकार है मगर उसमें कामयाब की कोई आशा वादी को नही है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है।
2. यह कि आराजी दर्ज मद न0 वाके ग्राम कबई में स्थित हैं
3. यह कि मद न0 3 जिस तरह से वर्णित की गयी है। स्वीकार नही है। खसरा न. 2630 से गैरसायलान का कोई सबंध नही है तथा खसरा न. 2629 में गैरसायलान सह खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायलान अपनी आराजी हिस्सा के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है गैरसायलान ने कोई ख0न0 2630 पर कब्जा नही किया है ना ही कोई निर्माण किया है समस्त वाते सायल ने स मद मे गलत दर्ज की गयी है तथा सायल एक सह खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी नही है।
4. यह कि मद न0 4 स्वीकार नही है दिनांक 02.07.2019 को या अन्य किसी तारीख को सायल को किसी प्रकार की धमकी नही दी ना ही नींव खोदी समस्त वाते असत्य दर्ज कराई गयी हैं इसलिये सायलान किसी प्रकार के हुक्म दवामी के आदेश से पाबंद करा पाने के अधिकारी नही है।
5. यह कि प्रार्थना सायलान स्वीकार नही है प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
6. यह कि गैरसायलान आराजी खसरा न0 2629 में सह खातेदार काश्तकार रहे तथा आराजी का अब तक बॅटवारा विधिक रूप से नही हुआ है समस्त सह अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिये जब तक बंटवारा नही हो तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इन्च पर कब्जा माना जाता हैं दावा 188 आर.टी.एक्ट किया है जबकि सम्पूर्ण आराजी का खातेदार ही उक्त दावा 188 का ला सकता है। इसलिए वादी का दावा त्रुटिपूर्ण होने से मेनअेनेबिल नही है सायल का दावा में धारा 53 व 188 का लाना चाहिये था बिना बंटवारा कराये दावा मेनटेनेविल नही होने से निरस्तनीय है जब पूरी आराजी पर सायल का कब्जा ही नही है तो एक सह खातेदार को किसी प्रकार की हुक्म दवामी से पाबन्द करा पाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:41:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

अधिकार नही है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन भी सायलान के हक में नही है। अतः प्रार्थना है। कि जबाब दर0 स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाई जावे शपथ पत्र पेश है।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074 से 2077 वाके कबई 1, तहसील नदबई पेश कि गई।

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही कि गई।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहस पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है ज़िसमें प्रार्थना पत्र की मदं स. 2 में वर्णित विविादित आराजी ख0न0 2630/0.15 व 2629/0.37 वाके ग्राम कबई 1 तहसील नदबई पर स्थित है। नकल हाल जमाबंन्दी पेश कि गई है। आराजी खसरा नम्बर 2630 सायलान की खातेदारी का रकवा है ये जो कि मनवट अनुसार सायलान के हिस्से में आया है। तथा उक्त खसरा नम्बर के बगल में गैरसायल सं. 1 की खातेदारी का रकवा खसरा नम्बर 2629 स्थित है। उक्त रकवा में सायलान भी सहखातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। परन्तु गैरसायलान संख्या 1 व 2 उक्त रकवा का नाजायज फायदा उठाकर सायलान के खसरा नम्बर 2630 में अतिक्रमण कर डौर मैड तोडकर पक्की दीवार का निर्माण कर रहा हैं। जबकि सायलान ने अपने खसरा नम्बर 2630 में सायलान ने अपने पूर्वजों के थान बना रखें है। उन बने हुए थानों को अपने खसरा नम्बर 2629 में डौर मैड तोडकर नींव खोदकर पक्का निर्माण कर रहे है। जिसको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। खसरा नम्बर 2629 की आड में सायलान के खसरा नम्बर 2630 में डौर मैड तोडकर नींव खोद दी जिसका सायलान ने मना किया तो खुलेआम यह धमकी दी है कि हम तो ऐसे ही बनायेगे तुम हमें रोक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जब तक दावे का निस्तारण ना हो जाये तब तक विवादित आराजीया की मौके कि यथा स्थिति बनाये रखना आवश्यक है। इसलिउ जारी शुदा स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जावें।

वकील अप्रार्थी/गैरसायल ने अपनी बह मे तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा जो वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है जिसमें गैरसायलान आराजी खसरा न0 2629 में सह खातेदार काश्तकार रहे है तथा आराजी का अब तक बॅटवारा विधिक रूप से नही हुआ है मनवट से अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिये जब तक बंटवारा नही हो तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इन्च पर कब्जा माना जाता हैं दावा 188 आर.टी.ए. का किया है। जबकि [illegible] आराजी का खातेदार ही उक्त दावा 188 का ला सकता है। इसलिए [illegible] होने से मेनअोनेबिल नही है सायल का दावा में धारा 53 व 188 का लाना चाहिये था [illegible] बंटवारा कराये दावा मेनटेनेविल नही होने से निरस्तनीय है जब पूरी आराजी पर सायल [illegible] कब्जा ही नही है तो एक सह खातेदार को किसी प्रकार की हुक्म दवामी से पाबन्द करा [illegible] का अधिकार नही है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन भी सायलान के हक में नही है। अतः प्रार्थना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि:–

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजीयात वाके ग्राम कबई 1 तहसील नदबई पर स्थित है। जिसमें सायल व गैरसायलान आराजी खसरा न0 2629 व 2630 में सह खातेदार काश्तकार रहे है तथा आराजी का अब तक बॅटवारा विधिक रूप से नही हुआ है मनवट से अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिये जब तक कानूनी रूप से बंटवारा नही हो जब तक प्रत्येक खातेदार का हर इन्च पर अपना अधिकारा माना जाता हैं । प्रार्थी किसी विशिष्ट एक नम्बरान के बाबत अप्रार्थीगण को किसी विशिष्ट एक नम्बर पर निर्मागण करने हेतु पाबन्द नही किया जा सकता है। यूकि यह विभाजन के बाद तय हो सकता है जबकि सम्पूर्ण आराजी का खातेदार ही उक्त दावा 188 का ला सकता है। इसलिए प्रार्थी / वादीगण [illegible] त्रुटिपूर्ण होने से मेनऐनेबिल नही है सायल का दावा में धारा 53 व 188 का लाभ [illegible] बिना बंटवारा कराये दावा मेनटेनेविल नही होने से निरस्तनीय है जब पूरी आराजी पर सायल पक्ष का कब्जा ही नही है तो एक सह खातेदार को किसी प्रकार की हुक्म दवामी से पाबन्द करने पाने का अधिकार नही है। कानूनी रूप से सहखातेदार को किसी प्रकार को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। इसप्रकार प्रथमदृष्टया प्रइमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के हक में साबित है।

3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द किया जाता है उनके खातेदारी अधिकारों का कुठारघात होगा जो अजीम क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र की मद स. 2 वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2629/0.37 वाके ग्राम कबई पर निर्मागण ना करने तथा व खसरा नम्बर 2630/0.15 वाके ग्राम कबई पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल ना करने हेतु जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2019 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुगार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर,नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर
17/02/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested